रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BYAUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17—फरवरी 23, 2018 (माघ 28, 1939)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17— FEBRUARY 23, 2018 (MAGHA 28, 1939)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3

[PART I—SECTION 3]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमावलियों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding to the Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2018

संकल्प

सं. : 01 सं. 11(1)/2014–रक्षा (रा.भा. 1)––भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी दिनांक 19 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र भाग–I खंड–3 में प्रकाशित संकल्प सं. 1 में भारत सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है :––

1 पैरा 2 II(ii) में उप शीर्षक ''संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित'' के नीचे

(क) क्रम सं. 6 पर वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
श्रीमती अंजुबाला, संसद सदस्य (लोक सभा)

(ख) क्रम सं. 7 पर वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
श्री सुरेश गोपी, संसद सदस्य (राज्य सभा)

(ग) क्रम सं. 8 पर वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
श्री संभाजी छत्रपती, संसद सदस्य (राज्य सभा)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी. आनन्दराजन
संयुक्त सचिव

———————————

MINISTRY OF DEFENCE
(DEPARTMENT OF DEFENCE)

New Delhi, the 24th January 2018

RESOLUTION

No. : 01 [No. 11(1)/2014/D (O.L-1)]—In the Government of India, Ministry of Defence, Deaprtment of Defence Resolution No. 1 published in the Gazette of India, Part-1, Section-III dated 19.09.2015 regarding reconstitution of the Hindi Salahkar Samiti of the Department of Defence, Deaprtment of Defence Research and Development and Department of Ex-Servicemen Welfare, the Government of India makes the following amendments :—

1. In para 2(II)(ii) under sub-heading "Nominated by the Ministry of Parliamentary Affaris"

(A) The existing entry at Serial No. 6 shall be substituted by the following :—

Smt. Anju Bala, M.P. (Lok Sabha)

(B) The existing entry at Serial No. 7 shall be substituted by the following :—

Shri Suresh Gopi, M.P. (Rajya Sabha)

(C) The existing entry at Serial No. 8 shall be substituted by the following :—

Shri Sambhaji Chhatrapati, M.P. (Rajya Sabha)

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, AGCR, all Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. ANANDARAJAN
Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.02.22 15:22:46 +05'30'